प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना भिण्ड जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. 84/2010-11/172

भवानी महिला कल्याण समिति 118 सी गोविंदपुरा भोपाल की संस्था जगद्गुरू शंकराचार्य महाविद्यालय जगराम नगर भिण्ड द्वारा प्रबंधक सत्यदेव कटारे पुत्र जगराम कटारे जाति ब्राहम्ण निवासी जगराम नगर भिण्ड (म.प्र.)

....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

(आदेश दिनांक 10-5-11 को पारित)

आवेदक **भवानी महिला कल्याण समिति 118 सी गोविंदपुरा भोपाल की संस्था जगद्गुरू शंकराचार्य महाविद्यालय जगराम नगर भिण्ड द्वारा प्रबंधक सत्यदेव कटारे पुत्र जगराम कटारे जाति ब्राहम्ण निवासी जगराम नगर भिण्ड (म.प्र.)** ग्राम **भिण्ड** प.ह.नं. **52/2** की भूमि सर्वे क्र.**3611/1, 3611/2, 3611/3** रकवा **1.516है.** में क्षेत्रफल **33750** ~~वर्गमीटर~~/वर्गफीट के व्ययवर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल जॉच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार भूमि स्वामित्व है। प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नहीं है, तथा व्यपर्वत किए जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं है।

अतः भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत ग्राम **भिण्ड** के सर्वे क्र. **3611/1, 3611/2, 3611/3** रकवा **1.516** है. में क्षेत्रफल **33750** वर्गफीट/~~वर्गमीटर~~ के व्ययपवर्तन की स्वीकृति आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. निर्माण कार्य नगर पालिका एवं संबंधित निकाय की विधिवत स्वीकृत तथा लेआउट की मंजूरी पश्चात् किया जावें।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जावें।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जावें, जिससे सार्वजनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जावें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
5. व्यपवर्तित क्षेत्र **33750** ~~वर्गमीटर~~/वर्गफीट पर पुनः निर्धारण **15913/-** रू. वर्ष 2010-11 से कायम किया जाता है, जो प्रतिवर्ष देय होगा।
6. प्रब्याजित 31366/-रू. कायम की जाती है जो सिर्फ एक बार देय होगी।
7. **व्यपवर्तन की स्वीकृति व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान के प्रयोजन हेतु दी गई है** प्रयोजन परिवर्तित करने पर पुनः निर्धारण पुनरीक्षित किया जावेगा।
8. आवेदक निर्माणाधीन मकान के सम्मुख तीन मीटर स्थान छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।
9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुज्ञप्ति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।
10. प्रकरण बी-1 इन्द्राज हेतु व्यपवर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जावें, इन्द्राज उपरान्त प्रकरण रिकार्ड दाखिलहो।

हेड कापिस्ट
कलेक्टोरेट भिण्ड (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
भिण्ड (म.प्र.)